लय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
सीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मा नम्बरः–122/2018 प्रार्थना पत्र
ाला पिता अलानुरू पिनारा, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———–प्रार्थी

बनाम

ो जगदीश पिता हजारी लाल जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ो लहरू लाल पिता हजारी लाल जाट, (जलानिया) उम्र बालिग निवासी जलानिया का मोहल्ला, ुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ो भैरूलाल पिता भैरूलाल (डेयरी वाले) उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ो भैरूलाल पिता हीरालाल जाट (जलानिया) उम्र बालिग निवासी जलानिया मोहल्ला, सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ी जमनालाल पिता भारमल जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
ाजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–15.3.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व ानियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सुवाणा पटवार ा सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 4204/1 रकबा 2 बीघा भूमि ी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे ्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते ो हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये ारगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.5.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। से शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 5 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 5 को तनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 27.. 018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 6 का सम्मन द तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 6 को कितनी ही मर्तबा धिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 11.3.2019 को एक फा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा स सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे श्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते मय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे श्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में फल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 4204/1 रकबा 2 बीघा भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 250/–रूपये ी पचास रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके मा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner